

पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ

लाजिस्टिक्स इकाई, सिंगनेचर भवन, पंचम तल, टावर-1 गोमतीनगर विस्तार फेज-2 लखनऊ
(फैक्स नम्बर-0522-2724030)

संख्या : लाजि०-एम०टी०-६१ / २०१९ (आ०चा० चयन)
सेवा में,

दिनांक: नवम्बर ०५ ,२०१९

अपर पुलिस महानिदेशक
समस्त जोन्स उ०प्र०

२— अपर पुलिस महानिदेशक
पी०ए०सी० मुख्यालय उ०प्र०
लखनऊ।

कृपया अपर पुलिस महानिदेशक/सदस्य, उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्ति बोर्ड उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या: पीआरपीबी-चार-१२(१७)२०१९ दिनांक ३०.१०.२०१९ द्वारा चयन वर्ष २०१६, २०१७ व २०१८ के ७८३५ रिक्तियों के सापेक्ष चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी हैं ।

२— उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ सरकारी सेवा नियमावली-२०१५ के नियम-५(क) में आरक्षी चालक के पद पर चयन हेतु ऐसे आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी सशस्त्र पुलिस एवं आरक्षी पीएसी पात्र होंगे जो निम्न शर्तें पूर्ण करते हों-

१. चयन वर्ष के प्रथम दिवस को ३२ वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हों
२. अच्छे स्वास्थ्य का हो और बगैर चश्में या सहायता के ऑखों की दृष्टि ६/६ हो
- ३—पूर्व में आरक्षी चालक के पद से प्रत्यावर्तित न हुआ हों।
- ४—मोटररायान अधिनियम १९८८ के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत भारी तथा हल्के वाहनों का ड्राइविंग लाइसेन्स धारक होना अनिवार्य हैं ।
- ५—भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को ०३ वर्ष की सेवा (प्रशिक्षण केन्द्र में किये गये प्रशिक्षण की अवधि को छोड़कर) पूर्ण कर ली हों ।

६—विगत पाँच वर्षों की अवधि में:-

- (एक) सत्यनिष्ठा रोकी न गयी हो, या
(दो) कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो, या
(तीन) दो या उससे अधिक लघु दण्ड न मिले हों ।

७—विगत तीन वर्षों की अवधि में:-

- (एक) कोई लघु दण्ड न मिला हो, या
(दो) दो या उससे अधिक छोटे दण्ड न मिले हों, या
(तीन) कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिली हों ।

३— नामांकन भेजते समय निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय:-

१- नामांकित आरक्षी के स्वास्थ्य परीक्षण(विशेषतः दृष्टि परीक्षा) नामांकन भेजने के पूर्व ही करा लिया जाय तथा दृष्टि परीक्षा का परिणाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय अर्थात् दृष्टि परीक्षा के परिणाम ठीक है, आदि अंकित न करके चिकित्सक द्वारा दिये गये चिकित्सा प्रमाण पत्र में दृष्टि परीक्षा का परिणाम अंकों में अंकित किया जाय। यदि दृष्टि परीक्षा में आरक्षी कलर ब्लाइन्ड पाया जाता है तो चिकित्सा प्रमाण पत्र में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय (नामांकन के साथ चिकित्सा प्रमाण अवश्य संलग्न किया जाय ।

2— वाहन चालन कार्य के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य परीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

3— नामांकन भेजने से पूर्व नामांकित आरक्षी नागरिक पुलिस, सशस्त्र पुलिस, आरक्षी पीएसी से इस आशय का बाण्ड भराकर रख लिया जाय कि आरक्षी चालक के पद पर उसकी प्रथम नियुक्ति पीएसी में की जायेगी, जिसपर उससे कोई आपत्ति नहीं होगी। इस बाण्ड की एक प्रति नामांकन के साथ भेजी जाय।

4— वाहिनियों द्वारा नामांकन निर्धारित प्रारूप में तैयार कर पीएसी मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा, पीएसी मुख्यालय द्वारा वाहिनियों की सूचना संकलित कर हार्ड/साफ्ट कापी में लाजिस्टिक्स कार्यालय उपलब्ध करायी जायेगी। इसी तरह जनपदों द्वारा नामांकन अपने—अपने जोन कार्यालय को प्रेषित की जायेगी तथा जोनल कार्यालय सूचना संकलित कर इस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। किसी जनपद/वाहिनी की सूचना यदि सीधे इस कार्यालय को प्राप्त होगी तो उसे स्वीकार नहीं की जायेगी।

5— निर्धारित तिथि के उपरान्त नामांकन स्वीकार नहीं किये जायेंगे, अतः समय सीमा का विशेष ध्यान दिया जाय।

6— इस निर्देश का जनपदों/वाहिनियों/इकाईयों में व्यापक प्रचार—प्रसार कराया जाय ताकि किसी भी इच्छुक/पात्र आरक्षी का नामांकन छूटने न पाये।

7— प्रत्येक चयन वर्ष का कट आफ डेट 01 जुलाई है।

8— आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी सशस्त्र पुलिस एवं आरक्षी पीएसी के अतिरिक्त आरक्षी आरमोरर एवं आरक्षी घुड़सवार पुलिस उक्त चयन में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

9— नामांकन के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध करायी जाय कि प्रारूप में अंकित सभी सूचनाएं सर्व प्रकार सही—सही अंकित की गयी हैं एवं अंकित की गयी सूचना में कोई त्रुटि नहीं है। विशेषकर जन्मतिथि एवं भर्ती तिथि का मिलान अवश्य कर लिया जाय।

4— अतः आपसे अनुरोध है कि समस्त जनपदों/पीएसी वाहिनियों/इकाईयों से उपरोक्त अर्हता पूर्ण करने वाले इच्छुक आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी सशस्त्र पुलिस एवं आरक्षी पीएसी का नामांकन TIMES NEW ROMAN FONT SIZE-10 में तैयार कर आवेदन पत्र, चिकिसा प्रमाण पत्र एवं भारी तथा हल्के वाहनों का ड्राइविंग लाइसेन्स की प्रमाणित छायाप्रति सहित सम्बन्धित सहायक के माध्यम से दिनांक 20.11.2019 के सांयकाल तक इस उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:प्रारूप

(विजय कुमार मौर्य)

अपर पुलिस महानिदेशक 'लाजिस्टिक्स'

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रतिलिपि:— समस्त विभागाध्यक्ष को सादर सूचनर्थ एवं उपरोक्तानुसार नामांकन प्रेषित कर्य जाने हेतु सादर प्रेषित हैं।

आरक्षी चालक के चयन के सम्बन्ध में नामांकन उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप :-

वर्ष	माह	दिन	दीर्घ	सत्यनिता	दो या	प्रतिशूल
			दर्ढ	रेकी गयी	दो से	प्रविट की
जन्म	जाति	उप जाति	पदनाम	नाम गृह	लम्बु	लम्बु
क्र०	पौ०	जनपद	ए०	जनपद	दर्ढ	दर्ढ
स०	ए०		अ०		संख्या	संख्या
न०	न०				उपरका वर्ष	उपरका वर्ष
दिनांक	तिथि	भर्ती	दिनांक	विनाश	दो से	प्रविट की
01.07.2016	को आयु	01.07.2016	05 वर्षों में	03 वर्षों में	रेकी हो तो	संख्या
दिनांक	तिथि	दिनांक	दिये गये दण्ड का	दिये गये दण्ड का	संख्या	संख्या
को रुल सेवा	(प्रशिक्षण अवधि को	विवरण	विवरण	विवरण		
छोड़कर)						

प्रमाणित किया जाता है कि अकिल अधिकारी सभी सचिवना अधिकारी तथा उनकी गयी कोई वित्ती नहीं है। जिसमें कोई वित्ती नहीं है।

ਵਾਹਿਗੁਰ ਦੇ ਪਾਂਨਾ

हमारा प्रयत्न वा प्रस्ताव

प्रधान लिपिक के
हस्ताक्षर व प्रदानम्

वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक / सेनानायक
के हस्ताक्षर व पदानाम महर सहित

TIMES NEW ROMAN FONT SIZE-10 में देखाया गया है।